पत्रांक–04/HFA–10/2016(खण्ड) /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 83 परियोजनाओं में से 35 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की आंशिक राशि ₹1905.60 लाख के अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹2.42 लाख ST घटक में एवं ₹632.78 लाख SC घटक में अर्थात कुल ₹635.20 लाख (छह करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार रू मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक–17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक–N-11012/3/2017-HFA-V-UD(Comp. No.9031709) दिनांक–25.09.2019 द्वारा राज्य के 83 परियोजनाओं में से 35 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की आंशिक राशि ₹1905.60 लाख के अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹2.42 लाख ST घटक में एवं ₹632.78 लाख SC घटक में अर्थात कुल ₹635.20 लाख (छह करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार रू मात्र) की निकासी की जानी है। विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹2.42 लाख ST घटक में एवं ₹632.78 लाख SC घटक में अर्थात कुल ₹635.20 लाख (छह करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार रू मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि ₹635.20 लाख (छह करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार रू मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के Allahabad Bank, Main Branch, Patna के Account Name- BUDA-HFA (State), A/c No.-50343639830, IFSC Code- ALLA0210003 में अंतरित किया जाएगा, जो आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निकायों को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, ज्ञापांक–7085 दिनांक– 19.09.2018, पत्रांक–256 दिनांक–26.02.2019 एवं पत्रांक–1081 दिनांक–11.12.2019 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹635.20 लाख (छह करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार रू मात्र) में से ₹2.42 लाख माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 – छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उप–योजना, उप शीर्ष–0303– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217037960303, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0303.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में द्वितीय अनुपूरक में उपबंधित राशि ₹27.40 लाख में से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि ₹635.20 लाख (छह करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार रू मात्र) में से ₹632.78 लाख माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 – छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0305– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217037890305, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0305.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में द्वितीय अनुपूरक में उपबंधित राशि ₹1250.00 लाख में से विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–378 दिनांक–16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0–16/टि0 पर दिनांक–09.01.2020 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0–16/टि0 पर दिनांक–09.01.2020 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016(खण्ड) दिनांक–
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016(खण्ड) 185 दिनांक–16/01/2020
प्रतिलिपि:–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.01.2020
सरकार के विशेष सचिव।